

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 83/2022(2022/280)

1. कालू पुत्र मांगीलाल जाति खटीक निवासी मेहरुकला माग पंचायत मेहरुकला तहसील सावर जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♣ बनाम ♣

1. श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- मो.इमदाद

पैरोकार सरकार :- जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 14.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम बालापुसा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत् 2070-73 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
21-18	790	0.97	बारानी 2
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.97	

जिसमें प्रार्थी बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते हैं जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढ़ी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थी अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 27.1.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारों व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नहीं हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार सावर को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमें बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नहीं है प्रार्थीगण द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नहीं बनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी (जिला-अजमेर)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया । प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है । खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है । खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सावर वाके ग्राम बालापुुरा तहसील सावर के खाता संख्या नया पुराना 21-18 के खसरा संख्या 790, रकबा 0.97 हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें । खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करें ।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।



(विकास पत्रोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
कंकड़ी (जिला-अजमेर)